



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09112022-240130  
CG-DL-E-09112022-240130

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4971]  
No. 4971]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 7, 2022/कार्तिक 16, 1944  
NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 7, 2022/KARTIKA 16, 1944

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2022

**का.आ. 5190(अ).**—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि बिहार राज्य के सारण जिले में NH19 के कि.मी. 133.085 से NH-85 के कि.मी. 3.435 (जिला भूमि अधिग्रहण कार्यलय, सारण समाहरणालय, छपरा) तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन, बाईपास और प्रचालन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् जिला भूमि अधिग्रहण कार्यलय, सारण समाहरणालय, छपरा को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

## अनुसूची

बिहार राज्य के सारण जिले में NH19 के कि.मी. 133.085 से NH-85 के कि.मी. 3.435 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: बिहार		जिले का नाम: सारण			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: रेवेलगंज					
गांव का नाम: सिरिसिया					
1	407	सरकारी(सड़क (बिहार सरकार))	बिहार सरकार	0.0326265(हेक्टेयर)	0.0326265
2	447	निजी	कृषि	0.0014812(हेक्टेयर)	0.0014812
3	448	निजी	कृषि	0.0345811(हेक्टेयर)	0.0345811
4	646	निजी	कृषि	0.1736949(हेक्टेयर)	0.1736949
5	647	निजी	कृषि	0.0758357(हेक्टेयर)	0.0758357
6	648	निजी	कृषि	0.0687455(हेक्टेयर)	0.0687455
7	649	निजी	कृषि	0.0801902(हेक्टेयर)	0.0801902
8	650	निजी	कृषि	0.0860745(हेक्टेयर)	0.0860745
9	651	निजी	कृषि	0.0636180(हेक्टेयर)	0.0636180
10	653	निजी	कृषि	0.0491582(हेक्टेयर)	0.0491582
11	655	निजी	कृषि	0.1174909(हेक्टेयर)	0.1174909
12	656	निजी	कृषि	0.0437879(हेक्टेयर)	0.0437879
13	657	निजी	कृषि	0.1327155(हेक्टेयर)	0.1327155
14	659	निजी	कृषि	0.0894860(हेक्टेयर)	0.0894860
15	660	निजी	कृषि	0.1410239(हेक्टेयर)	0.1410239
16	661	निजी	कृषि	0.0037191(हेक्टेयर)	0.0037191
कुल				1.1942	1.1942

[फा. सं. RW/PAT/NH-19/Km. 139.85 - Km. 129/LA/2020-21/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th November, 2022

**S.O. 5190(E).**—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of bypass connecting in the stretch of land from Km. 133.085 of NH-19 to Km. 3.435 of NH-85 (District Land Acquisition office, Saran, Chapra) in the district of SARAN in the state of BIHAR .

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, DLAO,Saran in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

**SCHEDULE**

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH19 in the stretch of land from Km. 133.085 of NH-19 to Km. 3.435 of NH-85 (DLAO ,Office, Saran) in the district of SARAN in the state of BIHAR.

State: BIHAR		District: SARAN			
S.No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Revelganj					
Village: Sirisiya					
1	407	Government (Road (Bihar Govt))	Bihar Govt	0.0326265(Hectare)	0.0326265
2	447	Private	Agriculture	0.0014812(Hectare)	0.0014812
3	448	Private	Agriculture	0.0345811(Hectare)	0.0345811
4	646	Private	Agriculture	0.1736949(Hectare)	0.1736949
5	647	Private	Agriculture	0.0758357(Hectare)	0.0758357
6	648	Private	Agriculture	0.0687455(Hectare)	0.0687455
7	649	Private	Agriculture	0.0801902(Hectare)	0.0801902
8	650	Private	Agriculture	0.0860745(Hectare)	0.0860745
9	651	Private	Agriculture	0.0636180(Hectare)	0.0636180
10	653	Private	Agriculture	0.0491582(Hectare)	0.0491582
11	655	Private	Agriculture	0.1174909(Hectare)	0.1174909
12	656	Private	Agriculture	0.0437879(Hectare)	0.0437879
13	657	Private	Agriculture	0.1327155(Hectare)	0.1327155

14	659	Private	Agriculture	0.0894860(Hectare)	0.0894860
15	660	Private	Agriculture	0.1410239(Hectare)	0.1410239
16	661	Private	Agriculture	0.0037191(Hectare)	0.0037191
<b>Total</b>				<b>1.1942</b>	<b>1.1942</b>

[F. No. RW/PAT/NH-19/Km. 139.85 - Km. 129/LA/2020-21/3A]

RAJESH GUPTA, Director